संख्या-34/2023/2552/नौ-5-2023/001-05Budget-2020

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम(नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत लखनऊ नगर में कुकरैल रिवर रिवाइवल एण्ड वाटर फ्रंट डेवलपमेंट फेज-1 (आई./डी. ऑफ ड्रेन) से संबंधित परियोजना हेतु तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-127/नागर-1/032-0410/2023, दिनांक 20.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राज्य सेक्टर कार्यक्रम के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत लखनऊ नगर में कुकरैल रिवर रिवाइवल एण्ड वाटर फ्रंट डेवलपमेंट फेज-1 (आई./डी. ऑफ ड्रेन)** से संबंधित परियोजना हेतु निर्धारित लागत रू0 6765.04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या-347/2020/151/नौ-5-2021-05बजट/2020, दिनांक 30.03.2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 500.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-93/202110451/नौ-5-2021-05बजट/2020, दिनांक 18-09-2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 2882.52 लाख का उपभोग हो जाने के द्रष्टिगत तृतीय किश्त के रूप में रूपये **1691.00 लाख (रूपये सोलह करोड़ इक्यानवे लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(7) निष्प्रयोज्य/ होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2021 की शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

(12) कार्य की गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार कार्य का उत्तरदायित्व प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ का होगा।

(13) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य /वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,91,00,000 (रुपये सोलह करोड़ इक्यानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
23.06.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या-34/2023/2552(1)/नौ-5-2023/001-05Budget-2020, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- नगर आयुक्त , नगर निगम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
23.06.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-23/06/2023

प्रेषण संख्या:- 34
आवंटन आदेश संख्या:- 001-34-2023-2552-9-5-2023-001-05B-2020
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	169100000 237500000	169100000 237500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	169100000 237500000	169100000 237500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ इकानवे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेइस करोड़ पचहत्तर लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव